B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Government of India Act, 1935 (PPT)

B.A. Part-3

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

भारत सरकार अधिनियम, 1935

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार अधिनियम-1935 भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 से 1935 के बीच में घटित राजनीतिक परिस्थितियों ने इस अधिनियम का आधार तैयार किया। वस्तुतः 1919 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सुधारों को राष्ट्रवादियों ने अपर्याप्त और निराशाजनक घोषित किया। जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रतर होता गया और इसकी चरम परिणिति नवीन सुधार के रूप में सामने आया।
- इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व इसमें 'साइमन आयोग रिपोर्ट', 'नेहरू समिति की रिपोर्ट', ब्रिटेन में सम्पन्न तीन गोलमेज सम्मेलनों में हुए कुछ विचार-विमर्शों आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
- तीसरे गोलमेज सम्मेलन के सम्पन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव 'श्वेत पत्र' नाम से प्रकाशित हुए, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम,1935 पारित हुआ।
- इस अधिनियम को 3 जुलाई, 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया, किन्तु पूर्णरूप से अप्रैल, 1937 में लागू हुआ।

प्रावधान

- **अखिल भारतीय संघ –** इसमें प्रावधान किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी रियासतें भी सम्मिलित होंगे। समस्त ब्रिटिश प्रान्तों को संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए संघ में शामिल होना ऐच्छिक था।
- **प्रांतीय स्वायत्ता -** प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। शासन के समस्त विषयों को तीन भागों में बांटा गया- संघीय विषय जो केंद्र के अधीन थे, प्रांतीय विषय जो पूर्णत: प्रांतों के अधीन थे तथा समवर्ती विषय जो केंद्र और प्रांतों के अधीन थे। परंतु यह निश्चित किया गया कि केंद्र और प्रांतों में विरोध होने पर केंद्र का ही कानून मान्य होगा। प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी अर्थात गवर्नर, व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे। इसी कारण यह कहा जाता है कि इस कानून के द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई।
- **केंद्र में द्वैध शासन -** केंद्रीय या संघ सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी जैसे 1919 ई. के कानून के अंतर्गत प्रांतों में भी की गई थी।

प्रावधान-1

- **सिंध, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के संबंध में-** सिंध और उड़ीसा दो नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया।
- **गवर्नर के विवेकाधीन शक्तियां-** गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी रियासतों के सम्मान की रक्षा, विदेशी नागरिकों से रक्षा आदि विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गयी।
- **सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति-** इस कानून के द्वारा भी निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का ही उपयोग किया गया परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई जिसके फलस्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13% हो गई जबकि 1919 ई. के कानून के अंतर्गत यह केवल 3% थी।
- **संघीय न्यायालय-** इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
- **केंद्रीय बैंक-** एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई।
- **बर्मा तथा अदन के संबंध में-** बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया।

गृह सरकार संबंधी प्रावधान

- इसके द्वारा 'भारत परिषद' को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 'भारत सचिव' के लिए कुछ सलाहकारों की व्यवस्था की गयी। उनकी संख्या 3 से 6 तक हो सकती थी। इनमें आधे सदस्य ऐसे होने आवश्यक थे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य किया हो और 2 वर्ष से अधिक उन्हें भारत छोड़े हुए ना हो।
- इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। भारत सचिव को कुछ मामलों में जैसे सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में उनकी सलाह मानना अनिवार्य था।
- भारत सचिव उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जिन्हें गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था।
- भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। उनका कार्य भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैंड में सुविधा प्रदान करना और भारत व इंग्लैंड के व्यापार के विषय में परामर्श देना था।

संघीय शासन संबंधी प्रावधान

- गवर्नर जनरल संघीय शासन का प्रधान था। उसके प्रशासनिक, आर्थिक और व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार विस्तृत थे। आर्थिक प्रस्ताव बिना उसकी अनुमति के व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, उसे विस्तृत विशेषाधिकार प्राप्त थे। उसे अध्यादेश जारी करने और स्वेच्छा से कानून बनाने का भी अधिकार था। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी।
- संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था- 'सुरक्षित विषय', जिनका शासन गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के सदस्यों की सलाह से करता था और 'हस्तांतरित विषय' जिनका शासन गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी और उसी में से चुने हुए भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इस प्रकार संघीय कार्यकारिणी दो भागों में विभक्त की गई थी- गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य तथा गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री।
- संघीय व्यवस्थापिका सभा में दो सदनों की व्यवस्था की गई- राज्य परिषद और संघीय सभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निश्चित की गई थी जिनमें से 156 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 104 सदस्य देशी रियासतों से आने की व्यवस्था थी।

संघीय शासन संबंधी प्रावधान-1

- ब्रिटिश भारत के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली अपनायी गयी जबकि देशी रियासतों के सदस्यों के लिए वहां के नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गयी।
- संघीय सभा के लिए 375 सदस्यों की व्यवस्था की गयी जिनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश भारत के और 125 सदस्य देशी रियासतों के होने थे। इनमें ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था जबकि देशी रियासतों के सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के नरेशों द्वारा किये जाने की व्यवस्था थी।

प्रांतीय शासन संबंधी प्रावधान

- प्रांतीय शासन का प्रधान गवर्नर था जो अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति व्यवस्थापिका सभा में चुने हुए और उसी के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के परामर्श से करता था। इस एक्ट के द्वारा शासन के समस्त विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन कर दिए गए। इसी कारण इस व्यवस्था को प्रांतीय स्वशासन के नाम से पुकारते हैं।
- परंतु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। गवर्नरों के अधिकार विस्तृत थे। विशेष उत्तरदायित्व के अतिरिक्त अनेक समस्याओं का निर्णय स्वयं से कर सकते थे। वैधानिक संकट उपस्थित होने पर वे संपूर्ण प्रांत के शासन को स्वयं अपने हाथों में ले सकते थे।

प्रांतीय शासन संबंधी प्रावधान-1

- कुछ प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के लिए द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी जैसे-उत्तर प्रदेश और बंगाल में। अन्य प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था की गयी। प्रथम सदन का नाम विधानसभा और द्वितीय सदन का नाम विधान परिषद रखा गया। विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे परंतु विधान परिषद के कुछ सदस्यों को गवर्नर मनोनीत भी करता था।
- व्यवस्थापिका सभा वार्षिक बजट में परिवर्तन कर सकती थी, यद्यपि गवर्नर उसे पुनः यथावत प्रस्तुत कर सकता था। अन्य प्रांतीय विषयों के बारे में कानून निर्माण करने, मंत्रियों से प्रश्न पूछने और अविश्वास पत्र स्वीकार करके उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका सभा को था। परंतु उनके यह अधिकार वास्तव में बहुत सीमित थे।

विश्लेषण

- इस प्रकार 1935 ई. के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना जिसमें भारतीय देशी रियासतों को भी सम्मिलित किए गए थे, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई। परंतु इसमें अनेक दोष थे।

विश्लेषण

- वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभा के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री, गवर्नर जनरल और गवर्नर के विशेष अधिकारों के कारण सशक्त नहीं थे। संप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति विद्यमान थी।
- इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई प्रबंध नहीं था जिससे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय देशी रियासतों आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस कारण इस कानून की केंद्रीय व्यवस्था को कार्य-रूप में परिणत किया जाना स्थगित कर दिया गया।
- लेकिन प्रांतों में इसी व्यवस्था के आधार पर 1937 ई. में चुनाव हुए और 6 प्रांतों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तथा मंत्रिमंडल का गठन किया। भारतीय मंत्रियों ने विविध प्रांतों में कुछ लाभप्रद कार्य भी किए। 1939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल ने बिना भारतीय मंत्रियों की सलाह के भारत को ब्रिटेन की ओर से युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए और इस कानून के द्वारा स्थापित आंशिक शासन व्यवस्था भी समाप्त हो गयी।